अध्याय-छः
वन प्राप्तियां

6.1 कर संचालन

प्रधान सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का प्रमुख होता है जिसे 37 क्षेत्रीय मण्डलों में आठ अरण्यपालों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। प्रत्येक अरण्यपाल वन मण्डल अधिकारियों के द्वारा उनके नियंत्रणाधीन किये जा रहे वन कार्यकलापों के दोहन तथा पुनरूत्थान का नियंत्रण करता है। प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मण्डल में वन सम्बन्धी सौंपे गये कार्यकलापों का प्रभारी होता है।

6.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2012-13 में वन प्राप्तियों से सम्बंधित 15 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 100 मामलों में ₹71.97 करोड़ से अंतर्ग्रस्त रॉयल्टी की अवसूली/ अल्पवसूली, ब्याज/ प्रसार फीस का अनुद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं पाई गई जो नीचे **तालिका 6.1** में निम्नवत् वर्गों के अंतर्गत आती है:

तालिका 6.1

			(₹ करोड़)
क्रमांक	**विवरण**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1.	रॉयल्टी की अवसूली/अल्पवसूली	14	11.08
2.	ब्याज का अनुद्ग्रहण	07	1.70
3.	प्रसार फीस का अनुद्ग्रहण	01	0.02
4.	अन्य अनियमितताएं	78	59.17
योग		**100**	**71.97**

विभाग ने वर्ष के दौरान 109 मामलों में ₹52.97 लाख के अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान नौ मामलों में ₹49.84 लाख की राशि वसूल की गई।

सरकारी राजस्व के उद्ग्रहण से सम्बंधित ₹4.14 करोड़ के कुछ मामलों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

6.3 वृक्षों का अवैध कटान

राज्य सरकार के अनुदेशों (अप्रैल 1951) के अनुसार वन अपराधों का संज्ञान रखने के उद्देश्य से गश्ती वन रक्षक द्वारा एक क्षति रिपोर्ट शीघ्र तैयार/ जारी की जानी अपेक्षित है। यदि अपराधी अजनवी है तो शीघ्र रूप से क्षति रिपोर्ट बनाई जानी अपेक्षित है तथा नजदीकी लम्बरदार अथवा प्रभावशाली व्यक्ति से हस्ताक्षरित करवाई जानी चाहिए। क्षेत्रीय वन अधिकारी से मामलों की जांच की जानी तथा क्षतिपूर्ति के निर्धारण अथवा अभियोजन की स्वीकृति हेतु वन मण्डल अधिकारी को प्रेषित की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश के अनुदेशों के अनुसार खण्ड अधिकारी/ क्षेत्रीय वन अधिकारी से समय-समय पर वनों का निरीक्षण किया जाना तथा अवैध कटान के प्रति प्रभावी कदम उठाने एवं कार्रवाई करने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को मामला सूचित किया जाना अपेक्षित है। क्षति रिपोर्ट जारी की जानी एवं अपराधी से हस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है यदि वह परिचित है। इन मामलों को पुलिस में पंजीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने "अपराध मामलों के रजिस्टर" में पाया (फरवरी 2013 तथा मार्च 2013 के मध्य) कि 352.720 घन मीटर के खड़े आयतन के विभिन्न प्रजातियों के 1,172 वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया तथा उन्हें अपराधियों द्वारा चुरा लिया गया। लेखापरीक्षा जांच में आगे पाया गया कि इन अपराधों में से किसी भी मामले में न तो क्षति रिपोर्ट (एक मामले के अतिरिक्त) जारी की गई और न ही कोई प्राथमिकी रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज करवाई गई। अपराध किये जाने के शीघ्र पश्चात क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अवैध कटान के मामलों का पता नहीं लगया जा सका। इस प्रकार, क्षेत्रीय स्टाफ की ओर से अपराधों का समय पर पता लगाने तथा उन्हें पुलिस को सूचित करने में ढील के परिणामस्वरूप अपराधियों द्वारा अवैध रूप से काटे गये तथा चुरा लिए गये 352.720 घन मीटर के प्रति 333.497 घन मीटर खड़े आयतन की इमारती लकड़ी की कम जब्ती हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹94.69 लाख की सीमा तक के राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण **तालिका 6.2** में दिया गया है:

तालिका 6.2

₹ लाख

मण्डल/वन क्षेत्र	उद्घाटित मामले/ दिनांक	वन/सड़कों का नाम	वृक्षों की संख्या (विभिन्न प्रजाति)	कुल खड़ा आयतन	क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा जब्त की गई	क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा जब्त नहीं गई	जब्त न गई इमारती लकड़ी का आयतन	टिप्पणी
चम्बा/ भरमौर (वन्य जीव)	जनता/ 2012-13	गवारी एवं टुडाह डी0पी0एफ0	14	20.65	14.746	5.904	2.38	कोई क्षति रिपोर्ट जारी नहीं की गई
करसोग	अज्ञात/ 2010-11 तथा 2011-12 के मध्य	छत्तरी से जंजैहली, नारेश से बेगू, सुशान से गोवालपुर व सैज से नांज	89	105.186	शून्य	105.186	35.84	एक मामले में क्षति रिपोर्ट जारी की गई थी। गैर वानिकी उपयोग हेतु वनों के अपवर्तन हेतु मामले एम0ओ0ई0एफ0/भारत सरकार को नही भेजे गये थे।
रामपुर/ रामपुर	अज्ञात/2006-07 तथा 2010-11 के मध्य	नानन से धरोली सड़क	1004	205.246	शून्य	205.246	43.44	अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदनार्थ मामला विलम्ब से भेजा गया जिसे एम0ओ0ई0एफ0 एन0आर0 चण्डीगढ़ द्वारा रद्द कर दिया गया था (अक्तूबर 2011)
शिमला/ भज्जी, धामी, तारादेवी व कोटी	अज्ञात/2011-12	विभिन्न वन	65	21.638	4.477	17.161	13.03	क्षति रिपोर्ट इन मामलों में से किसी में भी जारी नहीं की गई थी।
योग			**1172**	**352.72**	**19.223**	**333.497**	**94.69**	

विभाग तथा सरकार को यह चूक अप्रैल 2013 में इंगित की गई थी। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2013)।

6.4 जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के कारण राजस्व का अवरोधन

भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 में जब्ती योग्य सम्पत्ति को जब्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। अप्रैल 1951 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार जब्त की गई इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पाद को या तो *सपुरदार*[1] की *सपुर्दगी* (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखा जाना चाहिए अथवा प्रपत्र-17[2] में इसे लेखाबद्ध करने के पश्चात सम्बंधित क्षेत्रीय स्टाफ के पास रखा जाना चाहिए। इस प्रकार लेखाबद्ध की गई इमारती लकड़ी/वन उत्पाद का अपराध के पश्चात या तो समझौता करके उथवा न्यायालय द्वारा मामलें का निर्णय करने पर निपटारा किया जाना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को निदेश दिये (अप्रैल 1999) कि जहां पर वन उत्पादों की *सपुर्दगी* अत्यधिक लम्बी अवधि हेतु ली गई है वहां सम्बंधित जांच अधिकारी को ऐसे उत्पादों की निगरानी पर व्यय को कम करने तथा अपकर्ष (खराब होना)/ चोरी से बचाव के लिए 15 दिनों के अन्दर जब्त सम्पत्ति की निलामी हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त करने को कहा जाना चाहिए।

चार मण्डलों[3] की इमारती लकड़ी के प्रपत्रों की सितम्बर 2011 तथा फरवरी 2013 के मध्य लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि आठ वन क्षेत्रों में विभाग ने अप्रैल 2008 से मार्च 2012 तक के दौरान 276.687 घन मीटर परिमाप की इमारती लकड़ी जब्त की। 2011–12 की बाजार दरों पर जब्त की गई इमारती लकड़ी का मूल्य ₹17.14 लाख के वैट सहित ₹1.42 करोड़[4] आंका गया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि जब्त की गई इमारती लकड़ी विभाग के विभिन्न डिपुओं में पड़ी थी जिससे यह प्रतीत होता कि क्या सम्बंधित वन मण्डल अधिकारियों/ जांच अधिकारियों ने तय समय सीमा के अन्दर जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटान हेतु कोई ठोस पग उठाये थे अथवा न्यायालय के आदेश प्राप्त किये थे, का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार पकड़ी गई लकड़ी का निपटारा न करने के फलस्वरूप न केवल इस सीमा तक के राजस्व का अवरोधन हुआ बल्कि निगरानी पर व्यय तथा इमारती लकड़ी का अपकर्ष भी हुआ। शिखर स्तर पर पकड़ी गई/ निपटारा की गई इमारती लकड़ी की मात्रा का अनुश्रवण करने के लिए किसी भी आवधिक विवरणी को निर्धारित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने (फरवरी 2013) के पश्चात वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू ने बताया कि उक्त इमारती लकड़ी का संहिता औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात समयहरण कर लिया जाएगा तथा सक्रिय कार्रवाई प्रगति पर थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा करने हेतु विभागीय कर्मचारियों ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की।

विभाग तथा सरकार को मामला अक्तूबर 2011 तथा मार्च 2013 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

6.5 विभागीय प्रभारों का जमा न कर0ाना

मई 2004 में जारी किये गये प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश, के अनुदेशों के अनुसार विभाग की स्थापना तथा अवसंरचना प्रभारों को आवृत्त करने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के मामले में 17.5

---

1 लम्बरदार अथवा उस स्थान का कोई विश्वसनीय व्यक्ति

2 जब्त किये गये वन उत्पाद का रजिस्टर

3 कोटगढ़, कुल्लू, लाहौल स्पिति एवं नाहन

4 कोटगढ़: आयतन: 33.458 घन मीटर: ₹0.16 करोड़, कुल्लू: आयतन: 209.315 घन मीटर: ₹1.10 करोड़, लाहौल स्पिति: आयतन: 23.951 घन मीटर: ₹0.13 करोड़ तथा नाहन: आयतन: 9.963 घन मीटर: ₹0.03 करोड़

प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों को प्रभारित किया जाना था। प्रधान मुख्य अरण्यपाल के मार्च 2003 के पत्र के अनुसार वसूली गई विभागीय प्रभारों की राशि को क्षतिपूरक वनरोपण शीर्ष के बजाय विभाग के राजस्व के रूप में जमा कराया जाना था।

लेखापरीक्षा में जोगिन्द्रनगर वन मण्डल के अभिलेख से मार्च 2013 में पाया गया कि मण्डल ने गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि के अपवर्तन के दो मामलों में ₹5.58 लाख विभागीय प्रभारों सहित क्षतिपूरक वनरोपण के रूप में ₹37.47 लाख की वसूली की। इस प्रकार वसूल किये गये विभागीय प्रभारों को सरकार के राजस्व में जमा कराने के बजाए क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण[5] लेखे में जमा करवाया गया। इसलिए सरकारी खाते में विभागीय प्रभारों को जमा न कराने के परिणामस्वरूप इस सीमा तक के राजस्व की न्यूनोक्ति हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला अप्रैल 2013 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नही हुआ था (नवम्बर 2013)।

6.6 वन भूमि पर सड़कों के अवैध निर्माण के कारण राजस्व का अनुद्ग्रहण

उपयोक्ता अभिकरण के पक्ष में निवल वर्तमान मूल्य के रूप में एक विशेष राशि की अदायगी करने पर भारत सरकार/ पर्यावरण एवं वन मत्रांलय द्वारा गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वनों के अपवर्तन का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार के सितम्बर 1991 के अनुदेशों के अनुसार वन भूमि पर खड़े वृक्षों जिन्हें गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए अपवर्तित किया गया है की लागत उपयोक्ता अभिकरणों जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा वन भूमि का अंतरण अनुमोदित किया गया है,से उन्हें वन भूमि क्षेत्र सुपुर्द करने से पूर्व वसूल की जाएगी। उपयोक्ता अभिकरण द्वारा हाथ में ली गई परियोजना के संरेखण में आने वाले खड़े वृक्षों को चिन्हित किया जाता है तथा उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को दोहन करने हेतु सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त किसी वन अपराध का संज्ञान लेने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों (अप्रैल 1951) के अनुसार किए गए अपराध के लिए वन कार्यक्षेत्र रक्षक द्वारा तत्काल एक क्षति रिपोर्ट[6] तैयार/ जारी करना अपेक्षित होती है तथा इस क्षति रिपोर्ट को अपराधी से स्वीकार करवाना होता है। यदि अपराधी मौके पर गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तो तत्काल रिपोर्ट करनी अपेक्षित होती है और उसे निकटवर्ती लंबरदार अथवा प्रभावशाली व्यक्ति से हस्ताक्षरित करवाना होता है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत गम्भीर अपराध जिसमें दीर्घकालीन जांच अपेक्षित हो, के मामले में पुलिस की सहायता भी ली जा सकती है।

फरवरी तथा मार्च 2013 के मध्य दो मण्डील वन अधिकारियों[7] के अपराध मामलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने 2006-07 तथा 2011-12 वर्षों के दौरान 14.57 हेक्टेयर वन भूमि पर गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपवर्तन हेतु भारत सरकार/पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना छः सड़कों का निर्माण किया था। वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए सड़कों के अनधिकृत निमार्ण का कई वर्षों तक पता नहीं लगा सके/ निर्माण बंद नहीं करवा सके। तीन मामलों में न तो कोई क्षति रिपोर्ट जारी की गई और न ही पुलिस के पास मामले ही दर्ज करवाए गए। केवल एक मामले में विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रति ₹4.95 लाख का क्षति बिल जुटाया गया था, किन्तु मार्च 2013 तक इसकी स्वीकृति तथा वसूली लंबित थी। तथापि, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण

5 क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं प्राधिकरण

6 क्षति रिपोर्ट उपराध करने की तिथि व समय, वन के नाम तथा कंपार्टमेन्ट, क्षति के विवरण, अपराधी तथा गवाहों अथवा निकटतम गांव लंबरदार, यदि कोई हो, के नाम/आयु तथा पते से समाविष्ट होती है।

7 करसोग तथा रामपुर

विभाग के अनुरोध पर विभाग ने तीन मामलों में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय/ भारत सरकार के पास अनुमोदन के लिए आवेदन किया था, जिसने स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत अनुमोदन के लिए इंकार कर दिया (19.10.2011 तथा 26.04.2012 के मध्य)। इस प्रकार प्रारम्भिक अवस्था पर सड़कों के अवैध निर्माण का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए जैसा कि अधिनियम तथा अनुदेशों में प्रावधान किया गया है, विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप भारी पर्यावर्णीय हानि, वन भूमि की टूटफूट एवं बागान की क्षति के अतिरिक्त वर्तमान निवल मूल्य के संदर्भ में ₹1.01करोड़ की हानि हुई, जोकि अन्यथा गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अंतरण के अनुमोदित मामलों में विभाग को देय थी। वर्तमान निवल मूल्य पर ₹22.31 लाख के विभागीय प्रभार भी उद्ग्राह्य थे।

(ii) इसके आगे लेखापरीक्षा ने जनवरी 2012 में नाचन वन मंडल के अभिलेखों से पाया कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने भारत सरकार/ पर्यावरण तथा वन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक सड़क का निर्माण किया था। वन परिक्षेत्र, थाची के खण्ड अधिकारी, डहेर ने एक जांच की तथा सूचित किया (अप्रैल 2011) कि सड़क के निर्माण के दौरान संविदाकार द्वारा निकाले गए 1,878.932 घनमीटर कीचड़/ कूड़ा करकट का चिन्हित क्षेत्रों में निपटान नहीं किया गया तथा उसे अवैध रूप से वन क्षेत्र में निक्षेप कर दिया गया, जो कि भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को कीचड़/ कूड़ाकरकट के अवैध निपटान का पता नहीं लगा तथा उसे नहीं रोका गया तथा अपराध करने के दौरान लोक निर्माण विभाग संविदाकार के विरूद्ध कोई क्षति रिपोर्ट जारी नहीं की गई। तथापि, ₹6.22 लाख का क्षति बिल (मई 2011) जारी किया गया जिसका अपराधी द्वारा स्वीकार करने के अभाव में कोई महत्व नहीं था। इस प्रकार क्षति रिपोर्ट की छानबीन किए बिना क्षति बिल की वसूली सुनिश्चित नहीं की जा सकी तथा इसे विधि न्यायालय में वसूली हेतु पेश नहीं किया जा सका। क्षति बिल की वसूली की आशा बहुत कम थी, जिसके फलस्वरूप राजकोष को ₹6.22 लाख के राजस्व की हानि हुई।

विभाग तथा सरकर के ध्यान में मामला मार्च तथा अप्रैल 2013 के मध्य लाया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

6.7 रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण/ अल्पोदग्रहण

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी, रेजिन ब्लेजों[8] के दोहनार्थ अनुबन्ध व शर्तों, खड़े वृक्षों तथा अन्य वन उत्पादों की समय समय पर दरों का निर्धारण करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित मूल्य निर्धारण समिति ने फरवरी 2005 में आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम नौ *प्रतिशत* वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगी यदि रेजिन ब्लेजों पर रायॅल्टी की किश्तों का भुगतान 15 सितम्बर तथा 15 दिसम्बर तक नही किया जाता है। यदि भुगतान 90 दिनों की माफी अवधि के अन्दर कर दिया जाता है तो कोई भी ब्याज प्रभारित नही किया जाएगा अन्यथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम रॉयल्टी के भुगतान की देय तिथि से ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी है।

मार्च 2013 में तीन वन मण्डल अधिकारियों के रॉयल्टी की भुगतान विवरणों एवं लॉट फाइलों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि 2008 से 2012 तक के स्राव मौसम के दौरान 4,16,847 रेजिन ब्लेज हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम को दोहनार्थ सौंपे गये। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा बराबर किश्तों में सकल ₹154.80 लाख की रॉयल्टी स्राव मौसम 2008 के लिए 15 सितम्बर 2008 तथा 15 दिसम्बर 2008 एवं स्राव मौसम 2012 के लिए 15 सितम्बर 2012 एवं 15 दिसम्बर 2012 तक भुगतान

---

[8] रेजिन स्राव के लिए चीड़ के वृक्ष पर काटने का एक चिन्ह

योग्य थी। रॉयल्टी की ₹66.61 लाख की राशि का भुगतान विलम्ब से किया गया तथा ₹88.19 लाख का भुगतान 31 मार्च 2013 तक नही किया गया था। रॉयल्टी के भुगतान में 107 एवं 742 दिनों के मध्य का विलम्ब था। नौ *प्रतिशत* वार्षिक दर पर ₹7.74 लाख का ब्याज यद्यपि उदग्राहय था जिसे विभाग द्वारा उदगृहीत/ अल्प उदगृहीत किया गया जैसाकि **तालिका 6.3** में विवरण दिया गया है:

तालिका 6.3

							₹ लाख
क्रमांक	मण्डल का नाम	दोहन वर्ष / बलेजों की संख्या	रायॅल्टी भुगतान में विलम्ब (दिनों में)	रायॅल्टी राशि	उदग्राहन/उदगृहीत ब्याज	ब्याज का अनुदग्रहण/ अल्पोदग्रहण	के मध्य रायॅल्टी का भुगतान
1.	मण्डी	2008 / 1,37,612 में से 1,21,000 का स्राव किया गया	363 और 740	33.52	4.04 / शून्य	4.04	13 सितम्बर 2009 और 25 सितम्बर 2010
2.	जोगिन्द्र नगर	2008 / 1,19,475	179 और 742	33.09	2.45 / 2.07	0.38	13 मार्च 2009 और 27 सितम्बर 2010
3.	करसोग	2012 / 1,76,372	107 और 198	88.19	3.32 / शून्य	3.32	31 मार्च 2013 तक भुगतान नही
	योग	4,16,847		₹154.80	₹9.81 / 2.07	₹7.74	

विभाग तथा सरकार को मामला अप्रैल 2013 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2013)

6.8 रेजिन ब्लेजों का अनियमित विलोपन

वन कार्य प्रणाली के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् रेजिन लॉटस का रेजिन स्राव कार्य इस प्रयोजन हेतु एकमात्र एंजेट होने के नाते पूर्ण रूप से निगम के पास है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने दिनांक मई 2000 के अनुदेशो द्वारा सभी वन मण्डल अधिकारियों को निदेश दिये कि सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारियों द्वारा स्राव मौसम के अंत तक (15 दिसम्बर तक) प्रति वर्ष ब्लेजों के विलोपन हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाए ताकि आगामी स्राव मौसम (15 मार्च) के आरम्भ होने से ठीक पहले अरण्यपाल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

चार मण्डलों[9] के रेजिन ब्लेजों के अभिलेख से लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी एवं मार्च 2013 के मध्य) कि वर्ष 2008, 2010, 2011 और 2012 के रेजिन स्राव मौसमों के दौरान निगम को स्राव हेतु 62,771 रेजिन ब्लेज हस्तांतरित नहीं किये गये। इन ब्लेजों के विलोपन हेतु अपेक्षित अरण्यपाल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार अरण्यपाल का पूर्व अपेक्षित अनुमोदन लिए बिना ब्लेजों का विलोपन अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप ₹34.63 लाख के राजस्व की हानि हुई। इंगित किये जाने पर वन मण्डल अधिकारियों ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

विभाग तथा सरकार को मामला अप्रैल 2013 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नही हुए थे (नवम्बर 2013)।

[9] करसोग,मण्डी, शिमला, एवं रेणुकाजी